न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, प्रयागराज।
सत्र परीक्षण सं.–304/2023

उ0प्र0 राज्य बनाम विकास मिश्रा आदि।

आदेश

14.06.2023–

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी।

पुकार पर अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

मैने आरोप विरचित करने के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कहानी का वर्णन करते हुए उन साक्ष्यों का उल्लेख किया गया, जिनके आधार पर वे अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप विरचित कराना चाहते हैं।

पत्रावली का मेरे द्वारा सम्यक अवलोकलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण **1–विकास मिश्रा** एवं **2–अतुल निषाद** के विरूद्ध धारा **307,325** भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार है।

विरचित आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये गये जिससे उन्होंने इंकार किया एवं विचारण की याचना की।

पत्रावली दिनांक 17.07.2023 वास्ते अभियोजन साक्ष्य पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं.–1, इलाहाबाद।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, प्रयागराज।
सत्र परीक्षण सं.–304/2023
उ0प्र0 राज्य बनाम विकास मिश्रा आदि।

अपराध सं0–256/2019
धारा– 307, 325 भा0दं0सं0
थाना–दारागंज, **जनपद–**प्रयागराज।

आरोप

मैं, डॉ0 लक्ष्मी कान्त राठौर, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1 प्रयागराज एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण **1–विकास मिश्रा एवं 2–अतुल निषाद** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

प्रथम– यह कि दिनॉक 30.06.2019 को समय 20.00बजे वहद स्थान तुलसी अखाड़ा के पास थाना दारागंज प्रयागराज में आप लोगों ने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा अजय कुमार पाण्डेय व गौरव पाण्डेय(गोलू) को पिस्टल से गोली मार कर हत्या करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार आप लोगों ऐसा अपराध कारित किया जो कि धारा 307 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के भतीजे गौरव पाण्डेय(गोलू) को पिस्टल से गोली मार कर उसके दांये हाथ की उंगली में फ्रेक्चर कारित कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ऐसा अपराध कारित किया जो कि धारा 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आपके विरूद्व लगाये गये उक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–14.06.2023

(**डा0 लक्ष्मी कान्त राठौर**)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्या0 सं0 1, प्रयागराज।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक–14.06.2023

(**डा0 लक्ष्मी कान्त राठौर**)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्या0 सं0 1, प्रयागराज।